Implementation of Schemes in Madhya Pradesh

1834. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether the Planning Commission has formulated any plan to effectively implement various Centrally sponsored schemes in Madhya Pradesh;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) the measures taken so far to made these schemes more useful?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GAMANG): (a) to (d) Centrally Sponsored Schemes (CSS) are formulated by the Central Ministries/Departments in consultation with the State Governments/UTs and are implemented by the States/UTs or their agencies. These schemes are monitored by various Central administrative Ministries concerned and Planning Commission's role is limited to generally reviewing the implementation of all Plan schemes including the CSS during the Annual Plan discussions. The Planning Commission in the above circumstances has not formulated any plan for effective implementation of various CSS in Madhya Pradesh.

विकास कार्यों में नियोजित श्रमिकों को आवश्यक वस्तुएं

1835. **श्री शिवचरण सिंह:**

श्री जगन्नाथ सिंह:

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री 27 मार्च, 1995 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1948 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार विभिन्न विकास कार्यों में नियोजित श्रमिकों को उनकी मजदूरी के एक भाग के रूप में उचित दर दुकानों के माध्यम से विभिन्न खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने का कार्यक्रम चला रही है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह): केन्द्रीय सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जवाहर रोजगार योजना तथा रोजगार आश्वासन स्कीम में कार्यरत मजदूरों को आंशिक मजदूरी के रूप में खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए खाद्यान्न आवंटित करती है। इन स्कीमों के तहत आंशिक मजदूरी के रूप में खाद्यान्नों का वितरण करना राज्यों की इच्छा पर छोड़ा जाता है। मध्य प्रदेश सरकार इन रोजगार कार्यक्रमों के लिए खाद्यान्नों के वितरण हेतु उचित दर दुकानों का इस्तेमाल कर रही है। इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई एक माडल स्कीम सभी राज्य सरकारों को परिचालित की गई थी। जवाहर रोजगार योजना/रोजगार आश्वासन योजना के तहत खाद्यान्नों के वितरण की रीति के विषय पर राज्य सरकारों द्वारा निर्णय किया जाता है।

विदेशी वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त वित्तीय सहायता

1836. **श्री राम जेठमलानी:**

श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विकास हेतु विदेशी वित्तीय संस्थाओं की आर्थिक सहायता से परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, 1995 में निर्माणधीन परियोजनाओं की मंत्रालय-वार संख्या कितनी-कितनी थी, और

(ग) क्या इन परियोजनाओं के निर्माण हेतु विदेशी वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता पहले ही स्वीकार कर ली गई थी?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमंग): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Loss of FCI due to sale of Paddy

1837. SHRI ANANTRAM JAISWAL:

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Food Corporation of India would be in double side loss by selling paddy as reported in 'Jansatta' dated 21st June, 1995;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government propose to inquire into the whole matter; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) and (b) A quantity of more than 73 lakh tonnes of paddy was procured by FCI and State Government of Punjab/its agencies for Central Pool during the Kharif year 1994-95. Out of this a quantity of 28 lakh tonnes of paddy remained unmilled with the FCI/State Agencies.

In veiw of the need to create storage space, to avoid deterioration in quality of paddy/ resultant rice and to reduce the carrying cost of FCI on these stocks, it was decided to sell paddy at a fixed rate of Rs. 442 per quintal and Rs. 422 per quintal for superfine and fine variety respectively. However, a quantity of only 4.62 lakh tonnes of paddy could be disposed of through open sale. To liquidate the stocks, it became necessary to dispose of paddy through short term tenders to get the best price. With the result, a quantity of 5.08 lakh tonnes of paddy could be disposed of at a reserve price of Rs. 395 per quintal and Rs. 375 per quintal for superfine and fine variety respectively. Had this quantity not been disposed of, the FCI would have spent a substantial amount on carrying cost of these stocks. Therefore, the loss sustained on disposal of paddy is negligible when compared to the savings on carrying cost and other resultant losses.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Losses incurred by Maharashtra due to decontrol of sugar

1838. SHRI SHIVAJIRAO GIRIDHAR PATIL:

SHRI V.N. GADGIL:

Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether Government of Maharashtra has made a representation that it incurred losses, when orders were issued to freeze stock of sugar by Government of Maharashtra to District Collectors/Controller of Rationing, Bombay consequent upon decontrol of sugar by the Central Government from 16th August, 1978;

(b) whether Government of Maharashtra has now sent the revised claims as required by the Central Government; and

(c) the reasons due to which the claim has not been settled so far?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH) (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The revised claims have been submitted, but the stock position on 16.8.1978 is yet to be furnished by the Government of Maharashtra. The documentation is incomplete in the absence of the stock position.

निर्यात दायित्व के लिए कानूनी प्रतिबद्धता खण्ड

1839. श्रीमती सुषमा स्वराज:

श्री राम जेठमलानी:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जून, 1995 को "आब्जर्वर" में "लीगल अंडरटेकिंग क्लाज फार एक्सपोर्ट आब्लीगेशन गोज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयात-निर्यात नीति में किए गए सुधारों के फलस्वरूप व्यापारिक संस्थाओं द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने के समय किए गए अनुबंध में निर्यात-संबंधी प्रतिबद्धता के लिए कानूनी कार्यवाही कर पाने की स्थिति को समाप्त कर दिया गया है।

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उन औद्योगिक या व्यापारिक संस्थाओं, जिन्होंने 1994-95 में निर्यात वचनबद्धता का पालन नहीं किया है, के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की है; और

(च) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) जी, हां। यह समाचार दिनांक 9.6.95 के "दि आब्जर्वर" में छपा था।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जहां निर्यात दायित्व पूरा करने के मामले में शुल्क छूट योजना और ईपीसीजी योजना के तहत बची शुल्क राशि के लिए प्रतिभूति एवं सिक्यूरिटी सहित बन्ध